

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेडा जिला भीलवाड़ा (राज.)

राजस्व लोक अदालत 2017 केम्प कोर्ट मुकाम रूपाहेलीखुर्द

:: मूल वाद मे अंतिम डिक्री ::

{आदेश 20 नियम 6, 7 जा0दी0}

पीठासीन अधिकारी - श्री रतनलाल रेगर R.A.S.

प्रकरण संख्या : 142/2013 राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 53, 92(क), 188 RTA

उनवान

1. श्री भवंर पिता खेमा खारोल नि. कावलिया, तह. बनेडा जिला भील.

---वादी

बनाम

1 खेमा पिता स्व0 श्री हरलाल खारोल मुतबन्ना स्व0 हजारी खारोल नि. कावलिया, तह. बनेडा जिला भील

2 लादु पिता खेमा खारोल नि. कावलिया, तह. बनेडा जिला भील

3 जगदीश पिता खेमा खारोल नि. कावलिया, तह. बनेडा जिला भील फौत

3/1- रीना पुत्री जगदीश खारोल नि. कावलिया, तह. बनेडा जिला भील

3/2- महावीर पिता जगदीश खारोल नि. कावलिया, तह. बनेडा जिला भील

3/3- पदमा पिता जगदीश खारोल नि. कावलिया, तह. बनेडा जिला भील

3/4- अतीक पिता जगदीश खारोल नि. कावलिया, तह. बनेडा जिला भील

3/5- रतनी पत्नि जगदीश खारोल नि. कावलिया, तह. बनेडा जिला भील

4 मु0 रूकमा पिता खेमा खारोल नि. कावलिया, तह. बनेडा जिला भील

5 मु0 घीसी पिता खेमा खारोल नि. कावलिया, तह. बनेडा जिला भील

6 बाबुलाल पिता हरदेव जाट नि. कावलिया, तह. बनेडा जिला भील

7 उपपंजीयक बनेडा जिला-भीलवाडा

8 राज. राज्य जरिये तहसीलदार बनेडा, जिला भीलवाड़ा

---प्रतिवादीगण

राजस्व लोक अदालत 2017 केम्प कोर्ट मुकाम रूपाहेलीखुर्द मे वादी उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3/1, 6 उपस्थित, शेष प्रतिवादीगणों की अनुपस्थिति में इस वाद के आज दिनांक 16.05.2017 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर उभयपक्षों की सहमति से निर्णय दिया जाता है कि और डिक्री दी जाती है कि -

वादी का वादपत्र विरुद्ध प्रतिवादीगण अन्तर्गत धारा 88, 89, 53, 92(क), 188 राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत दौराने केम्प कमीश्नर से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव दिनांक 16.05.2017 के अनुसार वादी भवंर पिता खेमा एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3/1 लगायत 3/5, 4, 5, 6 के मध्य आपसी सहमति से मंजूर किया जाता है। वाद डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादी क सहमति से इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम कावलिया पटवार क्षेत्र रूपाहेलीखुर्द की वर्तमान जमाबन्दी प्राप्त विभाजन प्रस्ताव एवं हस्ताक्षरित नक्शा ट्रेस अनुसार निम्नानुसार विभाजित किये जाने की डिक्री प्रदान की जाती है। विभाजन प्रस्ताव एवं हस्ताक्षरित/प्रमाणितशुदा नक्शाट्रेस को उक्त डिक्री का अभिन्न अंग घोषित किया जाता है-

1. खेमा पिता हजारी उर्फ खेमा पिता हरलाल खारोल

आ0न0	रकबा
413	3.08 बीघा
411	0.04 बीघा
कुल 02	रकबा 3.12 बीघा

  
उपखण्ड अधिकारी बनेडा  
जिला भीलवाड़ा राज.

2. लादु, भंवर पिता खेमा, घीसी, रूकमा, पिता खेमा, रीना, महावीर, पदमा, अतीक, पिता जगदीश ना0बा.व.वि माता रतनी बैवा जगदीश खारोल

आ0न0	रकबा
393	0.08
396	0.11
397	0.10
398	0.04
399	0.03
400	0.01
401	3.04
402	2.11
394	0.17
395	1.04
410	0.13
412	1.02
कुल 12	रकबा 11-08 बीघा

5. बालु पिता हरदेव जाट सा0देह डोडवानियो का खेडा

आ0न0	रकबा
413	2.00
कुल 01	रकबा 2-00 बीघा

तहसीलदार बनेडा तदनुसार राजस्व अभिलेखों में अमल दरामद करें। वादी भंवर पिता खेमा एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3/1 लगायत 3/5, 4, 5, 6 के मध्य रहेगा। साथ ही प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3/1 लगायत 3/5, 4, 5, 6 को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री से पाबन्द किया जाता है कि वे वादी के हक एवं स्वामित्व के भू भाग पर किसी भी प्रकार की नाजायज दखलनदाजी न तो स्वयं करें न ही अन्य से करावें। तहसीलदार बनेडा तदनुसार राजस्व अभिलेखों में अमल दरामद करें। खर्चा फरिकेन अपना-अपना वहन करे।

आज दिनांक 16.05.2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी गयी।

(रतनलाल रेगर)  
उपखण्ड अधिकारी बनेडा  
जिल्ला भंवरवाड राज.

प्रतिलिपि:- पालनार्थ मय प्रमाणित शुदा प्रस्तावित नक्शाट्रेस व विभाजन प्रस्ताव

प्रतिलिपि:- प्रकरण संख्या 142/13 राजस्व वाद

दिनांक 16-5-2017

प्रतिलिपि:- पालनार्थ तहसीलदार बनेडा को प्रेषित हो। सलग्न किता-2

उपखण्ड अधिकारी बनेडा  
जिल्ला भंवरवाड राज.